संo संo-7 / सदर-24-01/2012- 24(7)व

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया ।

पटना, दिनांक : 21-5-2012

विषयः- मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड- N2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ ईकाईयों में कुल ₹14,00,000/- (चौदह लाख) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या-01(7)ब दिनांक-13.04.12 तथा दिनांक-11.5.12 को एम.जे.के. अस्पताल, बेतिया में मेडिकल कॉलेज के स्थापना की समीक्षात्मक बैठक में जिला पदाधिकारी, बेतिया से हुए विमर्श एवं उनके द्वारा की गयी मांग के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-2013 में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ ईकाईयों में कुल ₹14,00,000/- (चौदह लाख) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक-8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-3388वि0(2) दिनांक-18.4.11 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड- N2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियाँ, व्यवसायिक और विशेष सेवाएँ के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन / अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक -15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक-28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

6. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

21/5/2012

7. इस आवंटन से एम.जे.के. अस्पताल, बेतिया में आउटसोरसिंग के तहत् जेनरेटर की व्यवस्था एवं उपस्कर आदि पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

10. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

21/5/2012.

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 24(7)9 पटना, दिनांक : 21-5-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

21/5/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी

क्रम	जिला का नाम	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28–01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	कुल
1	2	3	4	5
1	एम0 जे0 के0 अस्पताल, बेतिया	400000	1000000	1400000

(चौदह लाख) रू0 मात्र

सरकार के संयुक्त सचिव

उपबध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	540527000	431818000	0	431818000	108709000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	362153000	289318060	0	289318060	72834940
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	80541000	60454520	0	60454520	20086480
4	परिवहन भत्ता (01–05)	258000	200000	0	200000	58000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	5455000	4318180	0	4318180	1136820
6	अन्य भत्ता (01–07)	3783000	2590908	0	2590908	1192092
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**992717000**	**788699668**	**0**	**788699668**	**204017332**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	2500000	0	0	0	2500000
8	यात्रा व्यय (11–01)	2530000	1264950	0	1264950	1265050
9	कार्यालय व्यय (13–01)	2630000	1314900	0	1314900	1315100
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	3930000	1964250	0	1964250	1965750
11	दूरभाष (13–03)	780000	388800	0	388800	391200
12	विद्युत प्रभार (13–04)	32520000	16254000	0	16254000	16266000
13	विधि प्रभार (13–05)	1000	0	0	0	1000
14	वर्दी/ पोषाक (13–06)	997000	488430	0	488430	508570
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	1810000	904500	0	904500	905500
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	14695000	7346700	1000000	8346700	6348300
17	दवा भंडार (21–02)	144000000	71992800	0	71992800	72007200
18	आहार/ पथ्य (21–03)	60000000	29997000	0	29997000	30003000
19	लधु कार्य (27–01)	1000	0	0	0	1000
20	व्यवसायीक एवं विशेष सेवाएँ (28–01)	212832000	108412640	400000	108812640	104019360
21	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	60000000	29997000	0	29997000	30003000
	कुल योगः–	**1531943000**	**1059025638**	**1400000**	**1060425638**	**471517362**

21/5/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

24(7)a
21-5-12